

**कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची।**  
**प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत प्रखण्ड स्तर पर गठित PMU में नियुक्ति संबंधी सूचना**

ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड की अधिसूचना संख्या 1016 (अनु०) ग्रा०वि० - 10 - PMAY - G54/2016, राँची, दिनांक 01.03.2017 के आलोक में राँची जिला हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत प्रखण्ड स्तर पर PMU गठन के लिए ऑनलाईन फार्म आमंत्रित किया गया है। राँची जिला में रिक्तियों की संख्या तथा अहर्ता निम्नवत् है:-

**प्रखण्ड स्तर पर :-**

क्रम सं०	पद का नाम	कोटिवार रिक्ति की संख्या	मासिक मनदेय राशि	उम्र सीमा*	शैक्षणिक योग्यता
1	प्रखण्ड समन्वयक	ST 2	18000/-	22-45 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट / को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट/ सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव।
2	लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	ST 6	10000/-	18-30 वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय/ संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ 6 माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।
		SC 1			
		BC-I 1			
उम्र सीमा* :- उम्र की गणना 01.01.2017 के आधार पर की जायेगी।					

**आवेदन शुल्क :-**

क्रमांक	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
1	प्रखण्ड समन्वयक	400/-	सामान्य/अ०पि०/पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए
		200/-	अ०जा० एवं अ०ज०जा० के लिए
2	लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	150/-	सामान्य/अ०पि०/पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए
		100/-	अ०जा० एवं अ०ज०जा० के लिए

आवेदकों को ऑनलाईन विभागीय पोर्टल <http://applyrdd.jharkhand.gov.in> पर जाकर आवेदन करना है, जहाँ नियुक्ति संबंधी सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध है। उपरोक्त पदों के लिए आवेदन दिनांक 14.02.2018 से 20.02.2018 तक ऑनलाईन भरा जाना है।

**नोट:- आवेदन दिनांक 14.02.2018 से 20.02.2018 तक भरा जायेगा।**

उपायुक्त -सह-  
जिला दण्डाधिकारी, राँची।